

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 464 / 147 बिजनौर, दिनांक, जुलाई 28, 2015।  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :- मै० इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा ग्राम छजुपुरा सैद तहसील बिजनौर जिला बिजनौर के खसरा संख्या 217 क, 218 बिजनौर-नूरपुर प्रान्तीय राजमार्ग संख्या 76 किमी० 17.127 की दायी पटरी पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की जाँच आख्या के संबध में।

संदर्भ :- **Online submission file no. FP/UP/OTHER/9116/2015 EDS date 22-07-2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा **Online submission file no. FP/UP/OTHER/9116/2015 EDS date 22-07-2015** में सी०ए० के०एम०एल० फाइल अन्य विवरण आदि मागा गया है, के संबध में आख्या निम्न प्रकार है :-

"It is to certify that as per joint inspection report which is attachment-4. There is no density of vegetation (trees) in the forest land which has to be used by the user agency for the purpose of entry & exit. Therefore cutting and felling of trees (vegetation) is not required. In this view according to guidelines of form part-II at serial no.4 (II) compensatory afforestation is not required."

भवदीया,

(अदिति शर्मा)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(अदिति शर्मा)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।